


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला देवी बनाम राजस्थान सरकार 411/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00395)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.07.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से एडमिशन में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त या अपीलान्त की ओर से न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (टी०र०के०कान्त) संभाषित अधिवक्ता जयपुर </p>	